

Topic - गौतिल्य (सप्तांग सिद्धांत)  
Lecture - 1

गौतिल्य ने 'अर्थशास्त्र' के अधिकांश 6 अध्याय  
1 तथा अधिकांश 8 अध्याय 2 में राजतंत्र  
के साथ राजा का वर्णन किया है जिन्हें  
उन्होंने सप्तांग कहा है। अर्थशास्त्र के  
अनुसार राज्य के सात अंग हैं - स्वामी,  
अमात्य, जनपद, दुर्ग, कौष, दण्ड तथा  
मित्र। इन अंगों के वर्णन के दौरान  
गौतिल्य ने राज्य को "सप्तांग मूल" में  
काहकर समझाया है जिससे ऐसा  
पता चलता है कि वे राज्य के औचित्य  
अथवा जैविक सिद्धांत में विश्वास रखते  
हैं। गौतिल्य का मानना है कि राज्य  
उसी दशा में उत्थान कार्य कर सकता  
है जब उसके सभी अंग अर्थात् सप्तांगों  
के साथ कार्य करें।

- 1) स्वामी - स्वामी अर्थात् राजा  
राज्य का सबसे महत्वपूर्ण  
अंग है तथा अन्य अंगों का सुचारु रूप  
से कार्य करना राजा की योजना पर  
निर्भर करता है। वह स्वयं ही राज्य  
के सभी पदाधिकारियों का चयन करता है वह  
प्रशासनिक कार्यों के प्रमुखों का निर्देश  
देता है वह राज्य के मानवीय तथा  
भौतिक संसाधनों की समीक्षाओं तथा  
विपदाओं को दूर करता है तथा उन्हें  
सुदृढ़ करता है, वह अयोग्य पदाधिकारियों

के स्थान पर गुणी जनो को नियुक्त करना है वह सदा ही योग्य पात्रों को सम्मानित तथा पात्रियों को दण्ड देने के कार्य में लगा रहना है। कौटिल्य राजा के देवी - उत्पत्ति के सिद्धान्त का अधिक महत्व नहीं देते हैं राजा सदा ही जन-सन्तुष्ट की सोच जन-कल्याण के कार्यों में लगा रहना है। कौटिल्य के अनुसार राजा को उच्च कुल में उत्पन्न, कृत्वा, इह निश्चयी विचारशील, सत्य प्रथम, बोलने वाला, विवकशील, दूरदर्शी, उजीवन, उत्साही तथा युद्धकला में निपुण होना चाहिए। उसे क्रोध, मोह तथा लोभ से दूर रहना चाहिए।

कौटिल्य ने राजा की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार 'मुझे संस्कार' के पश्चात् राजकुमार को लैजान तथा अकगणित की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिये। उपजय संस्कार के बाद इसे त्रयी अथवा तिनो वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) तथा भाष्यकी अथवा दर्शनशास्त्र की शिक्षा सुसंस्कृत ज्ञानियों से प्राप्त करनी चाहिये।

वर्ष अथवा अर्धशास्त्र की शिक्षा विभिन्न प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों से तथा दण्डनीति का ज्ञान इस विषय के सिद्धान्तों तथा व्यवहारों में प्रवीण व्यक्तियों से प्राप्त करना चाहिये।

② अमोच्य — काटिल्य के अनुसार शासन कार्य केवल राजपदाधिकारियों के सहयोग से ही सम्भव है। अतः राजा को अपने अमोच्य (मंत्रिगण एवं अन्य पदाधिकारियों) को नियुक्त करना चाहिये तथा उनके दिये गये परामर्श को मानना चाहिये। अमोच्य के चयन तथा नियुक्ति के लक्ष्य में काटिल्य सर्वप्रथम अपने पूर्ववर्ती अथवा शासक के दोषों के विचार का उद्देश्य देते हैं। उसके बाद वे किसी क्षत्रिणी की कार्यकुशलता एवं क्षमता के परीक्षण के लिए उसके कार्य-सम्पादन की मीमांसा को ही सबसे बड़ा मानक मानते हुए कार्य की प्रकृति, समय तथा स्थान को ध्यान में रख अमोच्यों के चयन की बात कहते हैं। अमोच्यों में सदृश, धीन, इच्छाशील, क-साध-साध, अपने पद की महत्वपूर्ण तकनीक जमाकी का होना आवश्यक है।

Khushboo Jemson  
 21<sup>st</sup> Sept. 2020